

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1280
09 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: निम्न कृषि उत्पादकता

1280. डॉ. ए. चेलाकुमार:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि विगत दो वर्षोंके दौरान देश मेंसभी बड़ी फसलों की निम्न उत्पादकता (प्रति हेक्टेयर पैदावार) के कारणकिसान गरीब हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरदेश मेंकृषि कीनिम्न उत्पादकता केलिए क्या कारण उत्तरदायी हैं;
- (ग) क्या कृषि उत्पादकता मेंवृद्धि के लिए कृषिआदानों में बड़े निवेश की आवश्यकता है;और
- (घ) यदि हां, तो देश में सरकारी और निजीकृषि मेंनिवेश मेंवृद्धि करने केलिए क्या कदमउठाए गए हैं?

उत्तर

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क) तथा (ख): फसलों की उत्पादकता (पैदावार प्रति हेक्टेयर) एक मुख्य कारक है जो किसानों की आय को प्रभावित करता है। सिंचाई के स्तरों में अंतर, मौसम एवं तापक्रम की दशाएं, संसाधन संवर्धन, कृषि का मशीनीकरण, भू-जोत आकार आदि के कारण मुख्य फसलों की उत्पादकता में अंतर्राज्यीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रमुख फसलों के उत्पादन स्तरों में अंतर का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। फसलों की उत्पादकता कृषि क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन का एक मुख्य निर्धारक है। कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता और उपयोग की उचित पद्धति फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। देश में किसानों को रियायती दरों पर बीजों, उर्वरकों, कृषि मशीनरी और उपकरणों, सिंचाई सुविधाओं, संस्थागत ऋण आदि की आपूर्ति के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

इसके अलावा, सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में कई उपाय किए हैं जिनमें कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) का सृजन, जल उपयोग कुशलता के लिए सूक्ष्म सिंचाई निधि, वाणिज्यिक जैविक खेती को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) अर्थात् आरकेवीवाई-आरएएफटीएआर (कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए लाभकारी उपागम) के तहत, नियमित परिव्यय का 50 प्रतिशत अवसंरचना एवं परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित किया गया है।

दिनांक 09.02.2021 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में
उल्लिखित अनुबंध

2018-19 एवं 2019-20 के दौरान मुख्य फसलों की राज्य-वार पैदावार

पैदावार (किग्रा/हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल		गेहूँ		दलहन		खाद्यान्न		तिलहन	
	2018-19	2019-20*	2018-19	2019-20*	2018-19	2019-20*	2018-19	2019-20*	2018-19	2019-20*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
आंध्र प्रदेश	3729	3770	एनए	एनए	558	938	2694	3038	589	1192
अरुणाचलप्रदेश	1802	एनए	1970	एनए	901	एनए	1600	एनए	1040	एनए
असम	2153	2243	1398	1393	756	753	2078	2151	642	641
बिहार	1948	2096	2998	2626	946	830	2402	2286	1248	1163
छत्तीसगढ़	1810	1773	1548	1050	721	317	1617	1515	561	720
गोवा	2719	-	एनए	एनए	1018	एनए	2469	एनए	2345	एनए
गुजरात	2279	2181	3020	3155	1029	1204	2134	2148	1458	2323
हरियाणा	3121	3334	4925	4687	1141	924	3981	3891	2042	1782
हिमाचलप्रदेश	1600	1600	1770	1770	1938	1920	2049	2047	590	589
जम्मू और कश्मीर	2350	-	2330	एनए	535	एनए	2178	एनए	1086	एनए
झारखंड	1895	2350	1847	2071	990	1034	1623	1891	684	766
कर्नाटक	3012	3012	1090	1324	528	684	1422	1618	824	1096
केरल	2920	3215	एनए	एनए	927	966	2890	3180	697	606
मध्यप्रदेश	1875	2375	2993	2993	916	803	1970	2182	1247	880
महाराष्ट्र	2236	1957	1497	1657	670	918	1071	1208	1096	1121
मणिपुर	2306	एनए	एनए	एनए	950	एनए	1688	एनए	855	एनए
मेघालय	1821	एनए	1931	एनए	1396	एनए	1835	एनए	1059	एनए
मिजोरम	1688	एनए	एनए	एनए	1573	एनए	1691	एनए	1193	एनए
नागालैंड	1657	एनए	1830	एनए	1230	एनए	1664	एनए	1050	एनए
ओडिशा	2004	2068	1815	1424	574	572	1766	1821	662	693
पंजाब	4132	4035	5188	5008	938	966	4658	4519	1499	1455
राजस्थान	2291	2189	3501	3501	636	709	1437	1466	1581	1282
सिक्किम	1856	एनए	1079	एनए	961	एनए	1669	एनए	925	एनए
तमिलनाडु	3562	3764	एनए	एनए	648	635	2972	2988	2411	2501
तेलंगाना	3452	3649	1877	1846	861	1067	3035	3447	1835	1886
त्रिपुरा	2944	एनए	2115	एनए	732	एनए	2673	एनए	817	एनए
उत्तर प्रदेश	2704	2704	3432	3432	1051	1033	2803	2809	1079	907
उत्तराखंड	2412	2646	2910	2889	922	939	2247	2346	938	813
पश्चिम बंगाल	2926	2851	3012	3100	796	930	2938	2835	1255	1217
अं. एवं. नि. द्वीप समूह	2122	एनए	एनए	एनए	274	एनए	1945	एनए	एनए	एनए
दादरा एवं नगर हवेली	3533	एनए	2139	एनए	1113	एनए	1853	एनए	590	एनए
दिल्ली	2877	एनए	4312	एनए	2000	एनए	3567	एनए	1262	एनए
दमन और दीव	1273	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	1281	एनए	एनए	एनए
पुदुचेरी	3546	एनए	एनए	एनए	536	एनए	3345	एनए	2481	एनए
अन्य	-	2226	एनए	2493	एनए	1048	एनए	2110	एनए	1217
अखिल भारत	2638	2705	3533	3421	757	817	2286	2325	1271	1236

स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, डीएसीएंडएफडब्ल्यू

*चौथे अग्रिम अनुमान एनए-उपलब्ध नहीं
